उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या- 1393 /9-1-2014-33सा/09
लखनऊ/ दिनांकः 21 मार्च, 2014

## विज्ञप्ति

निगोशिएबुल इन्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881, (1881 की एक्ट संख्या-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पब-1, दिनांक 08जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट तिथि को अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में तत्स्थानीय प्राविष्टि में निर्दिष्ट **लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2014 तथा 165-उन्नाव, 240-फतेहपुर, 244-रामपुरखास एवं 247-विश्वनाथगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन से संबंधित जिलों में निर्वाचन के प्रयोजन के लिए प्रदेश के संबंधित जनपदों में मतदान की तिथि को वहाँ की नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं जल सस्थानों तथा जल निगम में कार्यरत मस्टर रोल, दैनिक वेतन एव संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों सहित समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को मतदान की तिथि को मत देने की सुविधा के उददेश्य से सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित करते है** यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अवकाश के बदले सप्ताह के अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नही लिया जायेगा।

## अनुसूची

| क्र0सं0 | लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2014 एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन से संबंधित जनपद | मतदान का दिनांक जिसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया |
|---|---|---|
| 1. | अलीगढ़, बागपत, बिजनौर, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा शामली। | दिनाक 10 अप्रैल, 2014 |
| 2. | अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, हापुड़, खीरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सम्भल तथा शाहजहांपुर। | दिनाक 17 अप्रैल, 2014 |
| 3. | आगरा, अलीगढ़, औरैया, एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, मैनपुरी तथा मथुरा | दिनाक 24 अप्रैल, 2014 |
| 4. | बांदा, बाराबंकी, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव। (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 165-उन्नाव जनपद उन्नाव के अन्तर्गत तथा 240-फतेहपुर जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत आता है।) | दिनाक 30 अप्रैल, 2014 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, फैजाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, संत रविदास नगर भदोही, श्रावस्ती तथा सुल्तानपुर।<br>(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 244-रामपुरखास एवं विश्वनाथगंज जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत आता है।) | दिनाक 07 मई, 2014 |
| 6. | आजमगढ़, बलिया, चन्दौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, महराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, सिद्वार्थनगर, सोनभद्र तथा वाराणसी। | दिनाक 12 मई, 2014 |

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष वाहक द्वारा /स्पीड पोस्ट-**मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ, लखनऊ** को उनके पत्र संख्या-2123/सी.ई.ओ.-4-29/4 -2014, दिनांक 15 मार्च, 2014 के संदर्भ में (दो अतिरिक्त प्रतियॉ सहित)
2- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, पीसी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ।
3. विशेष वाहक द्वारा /स्पीड पोस्ट- **निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए, समस्त संबधित को निर्देशित करने की समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2014 से संबधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश विभागीय साइट http:// urbandevelopment.up.nic.in/ तथा http://ceouttarpradesh.nic.in/ पर अवलोकनीय है। मामले में की गयी कृत कार्यवाही की जानकारी भी समय-समय पर कृपया शासन को दी जाये।
4. स्पीड पोस्ट- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करे।
5. समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त एवं नगर आयुक्त उ0प्र0।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायतें द्वारा निदेशक,स्थानीय निकाय उ0प्र0।
7. विशेष वाहक द्वारा /**स्पीड पोस्ट**- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014 मतदेय स्थलों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं (Basic Minimum Facilities) के संबध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 04 मार्च, 2014 को हुयी बैठक के समयबद्व अनुपालन के संबध में तथा समय-समय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 द्वारा दिये

M Go

गये निर्देशों के समयबद्व अनुपालन हेतु। मामले में की गयी कृत कार्यवाही की जानकारी भी समय-समय पर कृपया शासन को दी जाये।

8. स्पीड पोस्ट- समस्त महाप्रबन्धक जल संस्थान उ0प्र0 लखनऊ।
9. स्पीड पोस्ट- संयुक्त निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति का उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशन कराकर उसकी 50 प्रतियॉ नगर विकास अनुभाग-1 को यथा शीघ्र उपलबध कराने का कष्ट करें ।
10. सामान्य प्रशासन अनुभाग।
11. नगर विकास विभाग के समस्त अधिकारीगण / समस्त अनुभाग।
12. **वेव मास्टर, नगर विकास विभाग उ0प्र0शासन** को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2014 से संबधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 के निर्देशों ( पत्र सं0 586/सी0ई0ओ0-2, दिनांक 02 मार्च, 2014 (Model Code of Conduct की प्रति दिनांक 05 मार्च, 2009 पत्र सं0 238/61-2014, दिनांक 10 मार्च, 2014 (मतदेय स्थलों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं के संबध में) तथा पत्र सं0 2123/सी0ई0ओ0, दिनांक 15 मार्च, 2014, पत्र सं0 622/सी0ई0ओ0, दिनांक 05 मार्च, 2014 व पत्र सं0 795/सी0ई0ओ0-2, दिनांक 19 मार्च, 2014 व कार्यवृत्त दिनांक 04 मार्च, 2014 को **विभागीय वेवसाइट पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें। साथ ही उक्त विज्ञप्ति को समस्त संबधित को ई-मेल भी करना सुनिश्चित किया जाये।**
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

M Go